रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 54] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1999/माघ 19, 1920
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 1999/MAGHA 19, 1920

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 73(अ).—केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) अभिप्रेत है;

(ख) "नियम" से अधिनियम के अधीन विरचित कोई नियम अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अधिवेशन" से बोर्ड का अधिवेशन अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य" से बोर्ड का एक सदस्य अभिप्रेत है;

(च) इसमें प्रयुक्त किए गए शब्द और पद जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या नियमों में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया :—(1) बोर्ड के कारबार का संव्यवहार सामान्यत: बुलाए गए अधिवेशन में होगा और अधिवेशन इन विनियमों और अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से इस प्रकार बुलाया जाए जिससे कि दो अधिवेशनों के बीच छह मास से अधिक का अन्तर न हो।

(2) सदस्य—सचिव, बोर्ड, अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से अधिवेशन की कार्यसूची पर विचार विमर्श करने के लिए बोर्ड का अधिवेशन, उसका स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए चौदह दिन की लिखित सूचना देकर, बुला सकेगा। ऐसे अधिवेशन की सूचना कार्यसूची की प्रति के साथ स्पीड पोस्ट द्वारा तथा उसके न होने पर रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रत्येक सदस्य को प्रेषित की जाएगी :

परन्तु ऐसी किसी मद की बाबत जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है, अध्यक्ष की अनुमति से अधिवेशन में विचार विमर्श किया जा सकेगा।

(3) किसी एक या अधिक सदस्यों द्वारा किसी अधिवेशन की सूचना प्राप्त न किए जाने पर अधिवेशन में हुई कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

4. गणपूर्ति:—किसी अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए आठ सदस्य होंगे।

5. व्यक्तियों का संगम:—(1) बोर्ड का सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी व्यक्ति को, जिसको बोर्ड ऐसे अधिवेशन में शामिल करना चाहे या अध्यक्ष की राय में, अधिनियम या नियमों के उपबंधनों को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड जिसकी सहायता या सलाह की वांछा कर सकेगा, अधिवेशन में आमंत्रित कर सकेगा :

परन्तु यह कि सदस्यों को इस प्रकार आमंत्रित व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में उनसे अपेक्षित सहायता या सलाह की प्रकृति के साथ जानकारी दी जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन आमंत्रित किसी व्यक्ति को, उस प्रयोजन से, जिसके लिए उसे अधिवेशन में शामिल किया गया है, सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे ऐसे अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन आमंत्रित कोई व्यक्ति, अधिवेशन में भाग लेने के लिए किसी सदस्य को लागू दरों पर यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता लेने का हकदार होगा।

6. बोर्ड अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा, ऐसे संकल्प में कतिपय विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए बोर्ड के सदस्यों से युक्त एक या अधिक उप-समितियों का गठन कर सकेगा।

7. अधिवेशन में विचारों में मतभेद होने की स्थिति में विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जा सकेगा और मतों के बराबरी की दशा में अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति मत अभिलिखित करेगा या निर्णायक मत देगा।

[फा. सं. 23011(64)/94-पी एल बाई(जिल्द-II)]

गौतम बासु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 1999

G.S.R. 73(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Supervisory Board, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement:—(1) These regulations may be called the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulations, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994);

(b) "rules" means any rules framed under the Act;

(c) "Board" means the Central Supervisory Board constituted under section 7 of the Act;

(d) "meeting" means meeting of the Board;

(e) "Member" means a member of the Board;

(f) words and expression used herein and not defined in these regulations but defined in the act or rules shall have the same meanings so assigned to them in the Act or rules.

3. Procedure for transaction of business in meetings :—(1) The business of the Board shall ordinarily be transacted at a meeting so called as not to allow a gap of more than six months between two meetings, duly called in accordance with the provisions of these regulations and the Act. (2) A meeting of the Board may be called by the Member Secretary of the Board by giving fourteen days' notice in writing specifying the place, date and hour, to discuss the agenda for the meeting, with the approval of the Chairman. Such notice accompanied with a copy of the agenda for the meeting shall be despatched to every Member by Speed Post, failing which by Registered Post with acknowledgement:

Provided that any item not included in the agenda may be discussed in a meeting with the permission of the Chairman.

(3) Non-receipt of the notice of a meeting by any one or more of the members shall not invalidate the proceedings held at any meeting.

4. Quorum:—Eight Members shall form a quorum for a meeting.

5. Association of persons:—(1) The Member Secretary of the Board may, with the approval of Chairman, invite for a meeting any person whom the Board may like to associate in such meeting, or whose assistance or advice, in the opinion of the Chairman, the Board may desire, in carrying out the provisions of the Act or the rules :

Provided that the Members shall be informed of the presence of persons so invited, alongwith the nature of assistance or advise required of them.

(2) A person invited under sub-regulation (1) shall have the right to take part in the discussion relevant to the purpose for which he is associated in a meeting, but shall not have a right to vote in such meeting.

(3) A person invited under sub-regulation (1) shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance for attending the meeting at the rates applicable to a Member.

6. The Board may by resolution passed in meeting constitute one or more sub-committee consisting of Members of the Board for performing certain specified task in such resolution.

7. The decision at a meeting in a situation of difference of views may be taken by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairman and in his absence, the person presiding, shall have and exercise a record or casting vote.

[No. 23011/64/94-Ply (VOL. II)]

GAUTAM BASU, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the C[illegible] of P[illegible]

IndiaCode